न्यायसंगत भविष्य के लिए मानवाधिकार रक्षकों की कार्यसूची

actionaid
ActionAid Association (India)

www.actionaidindia.org
@actionaidindia
actionaidcomms
@company/actionaidindia
actionaid_india
ActionAid Association
F-5 (First Floor), Kailash Colony New
Delhi -110048
+911-11-40640500

न्यायसंगत भविष्य के लिए मानवाधिकार रक्षकों की कार्यसूची

ActionAid Association (India)

न्यायसंगत भविष्य के लिए मानवाधिकार रक्षकों की कार्यसूची

May 2024

CC BY NC SA

Some rights reserved. This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License. Provided they acknowledge the source, users of this content are allowed to remix, tweak, build upon and share for non-commercial purposes under the same original license terms.

ActionAid Association (India)

www.actionaidindia.org @actionaidindia

@actionaidcomms @company/actionaidindia @actionaid_india

ActionAid Association, F-5 (First Floor), Kailash Colony, New Delhi -110048.

+911-11-40640500

विषय सूची

भूमिका 01

विधायी कार्यवाही 02

    व्यापक विधान का अधिनियमन 02

    अन्य विधायी उपाय 04

सुरक्षा उपायों की आवश्यकता 04

अनुकूल वातावरण की आवश्यकता 05

एक सहायक संस्थागत ढाँचे की आवश्यकता 06

क्षमता निर्माण और जागरूकता 07

न्यायसंगत भविष्य के लिए मानवाधिकार रक्षकों की कार्यसूची

भूमिका

सरकारी संस्थाओं और अधिकारियों को जवाबदेह बनाने और न्याय एवं सतत विकास की वकालत करने हेतु अथक प्रयास करने वाले मानवाधिकार, सामाजिक और पारिस्थितिकीय न्याय रक्षक लोकतांत्रिक ढाँचे के लिए बेहद जरूरी हैं। ये लोग और उनके संगठन, नागरिक और जनवादी अधिकारों के उल्लंघन के शिकार लोगों और व्यापक समाज के हितों की रक्षा करने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। भारत अपने जीवंत लोकतंत्र और लगातार उन्नति करती अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। भारत के ये मानवाधिकार रक्षक सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय संविधान मानव अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। इसलिए, सरकारी संस्थाओं को सभी के अधिकारों की रक्षा और प्रचार-प्रसार करने वाला अनुकूल वातावरण बनाने की जरूरत है।

दशकों से एक्शनएड एसोसिएशन ने हजारों समुदाय-आधारित मानवाधिकार रक्षकों के साथ मिलकर काम किया है, जो व्यापक मुद्दों पर देश भर के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मजबूती से हस्तक्षेप कर रहे हैं। इन मुद्दों में बाल अधिकार, महिला अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, भूमि अधिकार, दलित अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, आदिवासी अधिकार और पारिस्थितिकीय न्याय शामिल हैं। तकरीबन 32,000 से अधिक समुदाय-आधारित मानवाधिकार रक्षक हमें 25 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में एक्शनएड एसोसिएशन से जुड़े रहने में मदद करते हैं।

ये मानवाधिकार रक्षक, विशेष रूप से समुदाय-आधारित या अग्रिम पंक्ति के रक्षक, सरकार की नीतियों और योजनाओं तक पहुँच को सुविधाजनक बनाकर अंतिम व्यक्ति तक शासन के लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार हैं। वे कमजोर समुदायों की आवाज को गाँव और समुदाय-स्तरीय योजना प्रक्रियाओं, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों सहित स्थानीय शासन संरचनाओं की कार्यवाहियों में लाकर जमीनी लोकतंत्र बहाली में मदद करते हैं। जब भी व्यक्तियों

या समूहों को अधिकारों से वंचित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वे पहले प्रतिरोध के रूप में सामने आते हैं।

संवैधानिक गारंटी के बावजूद, भारत में मानवाधिकार रक्षकों के लिए अधिक मजबूत कानूनी मान्यता और सुरक्षा की आवश्यकता है। 'न्यायसंगत भविष्य के लिए मानवाधिकार रक्षकों की कार्यसूची' उनकी सुरक्षा हेतु व्यापक उपायों की रूपरेखा पेश करती है। इन उपायों में कानूनी मान्यता, सुरक्षा उपाय, वकालती या पक्ष-समर्थन के काम के लिए समर्थन, जानकारी तक पहुँच, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, धमकी और प्रतिशोध के खिलाफ सुरक्षा, प्रभावी उपाय, सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व, सुरक्षा तंत्र की स्थापना, नागरिक समाज के साथ परामर्श, पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षण का प्रावधान और क्षतिपूर्ति शामिल है।

इन उपायों को कार्यान्वित करना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि सभी मानवाधिकार रक्षक बिना हमलों, प्रतिकार या अनुचित प्रतिबंधों से मुक्त, सुरक्षित, और सहानुभूति पूर्ण वातावरण में रह और काम कर सकें। रक्षकों को कानूनी रूप से मान्यता देकर और उनकी सुरक्षा करके, हमारा देश मानवाधिकारों और लोकतंत्र, सुशासन, सतत विकास और कानून के शासन के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे सकता है।

प्रस्तुत दस्तावेज देश भर के मानवाधिकार रक्षकों के साथ परामर्श की एक श्रृंखला के बाद सामने आया है, जिसमें समुदाय-आधारित मानवाधिकार रक्षक भी शामिल हैं, जिनके साथ जुड़ने का सौभाग्य एक्शनएड एसोसिएशन को मिला है।

विधायी कार्यवाही

व्यापक विधान का अधिनियमन

मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा हेतु एक समर्पित व्यापक कानून बनाया जाए। अधिकारों की रक्षा करने वालों की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कानून को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अनुबंधों और देश के संवैधानिक आदेशों के अनुरूप होना चाहिए। इस कानून में जिन महत्वपूर्ण कारकों को शामिल किया जाए उनमें शामिल हैं :

- मानवाधिकार रक्षकों के लिए कानूनी मान्यता : मानवाधिकार रक्षकों की औपचारिक कानूनी मान्यता उनकी भूमिका को सशक्त और कानून के तहत उनकी गतिविधियों की रक्षा करेगी। यह मान्यता यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि रक्षक कानूनी नतीजों या अपनी सुरक्षा के प्रति खतरे की परवाह किए बगैर अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें।

- गतिविधियों की सुविधा : कानून द्वारा सरकारी संस्थाओं को सामाजिक और पारिस्थितिकी न्याय रक्षकों के लिए अपने काम को स्वतंत्र रूप से अंजाम देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का आदेश दिया जाए, जिसमें नौकरशाही बाधाओं को दूर करना और आवश्यक संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित किया जाना शामिल है।

- वकालती प्रयास : रक्षकों के वकालती प्रयासों जैसे जुड़ने हेतु मंच प्रदान करने, प्रासंगिक हितधारकों के साथ वार्तालाप की सुविधा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक मुद्दों को स्वर देने वाले प्रयासों का अधिकारियों द्वारा समर्थन दिए जाने को प्रोत्साहित किया जाए।

- सूचना तक पहुँच : कानून द्वारा रक्षकों और नागरिक समाज संगठनों के लिए मानवाधिकार, सामाजिक-आर्थिक न्याय और पारिस्थितिकीय स्थिरता से संबंधित जानकारियों तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित की जाए।

- धमकाने के खिलाफ रोकथाम और सुरक्षा : कानून के तहत, सरकार को रक्षकों के खिलाफ धमकियों या प्रतिशोध को रोकने हेतु सक्रिय उपाय करने के लिए जवाबदेह बनाया जाए। मानवाधिकार रक्षकों को उनकी स्थिति, गतिविधियों या रक्षकों के रूप में काम से जुड़ी धमकी, प्रतिशोध, मानहानि या कलंक से बचाव और संरक्षण प्रदान किया जाए।

- त्वरित जाँच और जवाबदेही : अधिकारियों द्वारा रक्षकों के खिलाफ उल्लंघनों की त्वरित, निष्पक्ष और संपूर्ण जाँच की जाए। अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह बनाया जाए।

- प्रभावी उपाय और पूर्ण क्षतिपूर्ति : मानवाधिकार रक्षकों को अपने अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के निवारण हेतु प्रभावी उपचार और रास्ते तक पहुँच प्रदान की जाए, जिसमें पूर्ण क्षतिपूर्ति, मुआवजा, पुनर्वास और पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय शामिल हैं।

- धमकी और प्रतिशोध का अपराधीकरण : कानून द्वारा रक्षकों के खिलाफ धमकी और प्रतिशोध को एक अपराध के रूप में स्थापित किया जाए, जिसमें अपराध की गंभीरता के आधार पर उचित दंड निर्धारित किया जाए।

- शिक्षा का प्रचार और सुविधा : सरकार के संबंधित विभागों और निकायों को मानव अधिकारों, सामाजिक-आर्थिक नीतियों, पारिस्थितिकीय स्थिरता और समाज के सभी क्षेत्रों के भीतर रक्षकों की भूमिका पर शिक्षा को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने, समावेशिता और पहुँच सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह बनाया जाए।

- सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन : अधिकारियों द्वारा खतरों, उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ रक्षकों की सुरक्षा के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों को लागू किया जाए, जिसमें प्रभावशीलता का आकलन और कमियों को दूर करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन भी शामिल है।

- संरक्षण कोष की स्थापना : कानून द्वारा आदेश दिया जाए कि सरकार एक कोष स्थापित करे जो सामाजिक और पारिस्थितिकी रक्षकों की रक्षा करे। इस फंड का उद्देश्य सामाजिक और पारिस्थितिकी

रक्षकों के अधिकारों और रक्षा के उद्देश्य से गतिविधियों और पहलों का समर्थन करने हेतु वित्तीय संसाधन प्रदान करना हो।

अन्य विधायी उपाय

- मानवाधिकार रक्षकों के समर्थन हेतु सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम को मजबूत करना : RTI अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त जानकारी के दायरे को विस्तारित किया जाए ताकि अपने कर्तव्य निर्वहन में मानवाधिकार रक्षकों द्वारा व्यावसायिक उद्यमों और अन्य संगठनों से जुड़ी जानकारी जुटाई जा सके। साथ ही, सरकार द्वारा ऐसे मानवाधिकार रक्षकों के लिए कानूनी संरक्षण और सहायता प्रदान की जाए, जो RTI अधिनियम का उपयोग करके पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा ऐसे मानवाधिकार रक्षकों के लिए एक अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे RTI अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के माध्यम से कानून और व्यवहार में मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं के अनुपालन पर अध्ययन, चर्चा, गठन, और राय रख सकें।

- मजबूत व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम : भारत में ह्यूमन राइट्स डिफेंड को सशक्त बनाने हेतु आवश्यक है कि एक संशोधित व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम (WBPA) बनाया जाए, जिसमें गुमनाम रिपोर्टिंग की अनुमति दी जाए, निजी क्षेत्र की कंपनियों के कवरेज का विस्तार हो और स्वतंत्र निरीक्षण के साथ एक मजबूत गवाह संरक्षण कार्यक्रम स्थापित किया जाए। संशोधित WBPA में जाँच के लिए सख्त समयसीमा और व्हिसलब्लोअर के खिलाफ जवाबी कार्यवाही हेतु कठोर दंड का प्रावधान भी शामिल किया जाए। WBPA को बढ़ाने और HRDs के बीच जागरूकता फैलाने से इन रक्षकों के लिए मानवाधिकारों की प्रभावी ढंग से वकालत करने का एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार होगा।

सुरक्षा उपायों की आवश्यकता

- सुरक्षा तंत्र की स्थापना : मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा, सुरक्षा समन्वय, धमकियाँ रोकने और प्रतिशोध के कृत्यों की जाँच और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र को स्थापित, नामित करने और बनाए रखने की आवश्यकता है।

- डिजिटल सुरक्षा : मानवाधिकार रक्षकों को ऑनलाइन उत्पीड़न, निगरानी और साइबर हमलों से बचाने हेतु डिजिटल सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे डिजिटल क्षेत्र में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

- समावेशन और विविधता : सुनिश्चित किया जाए कि सुरक्षा उपाय और नीतियाँ समावेशी हों। महिलाओं, मूल निवासियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के मानवाधिकार रक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली विविध आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करती हों।

- आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र : संकट में या आसन्न खतरे के तहत मानवाधिकार रक्षकों को तत्काल सहायता और सुरक्षा प्रदान करने हेतु त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित किया जाए।
- प्रभावी उपाय और क्षतिपूर्ति : मानवाधिकार रक्षकों को उनके अधिकारों के उल्लंघन या सुरक्षा ढाँचे के तहत दायित्वों के उल्लंघन की स्थिति में एक प्रभावी उपाय और पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए तंत्र स्थापित किया जाए।
- सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व : एक मजबूत निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित की जाए, ताकि सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा मानवाधिकार रक्षकों के अधिकारों का सम्मान, प्रचार, सुरक्षा और पूर्ति की जा सके और उनकी गतिविधियों को सुविधाजनक, मानवाधिकार-संबंधी जानकारी तक निर्बाध पहुँच, दखलंदाजी और मनमाने घुसपैठ के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जा सके।
- सिविल सोसायटी के साथ परामर्श : मानवाधिकार रक्षकों और सिविल सोसायटी के बीच निकट परामर्श का संचालन सुनिश्चित किया जाए।
- मानवाधिकार रक्षक संरक्षण कोष : जरूरतमंद मानवाधिकार रक्षकों को समर्थन देने, कानूनी शुल्क, चिकित्सा व्यय, स्थानांतरण लागत और अन्य आपातकालीन जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक समर्पित कोष की स्थापना की जाए। यह फंड खतरों या उत्पीड़न का सामना करने वाले मानवाधिकार रक्षकों की तत्काल आवश्यकताओं के लिए सुलभ और उत्तरदायी हो।
- गवाह सुरक्षा कार्यक्रम : मानव अधिकार मामलों में दी गई गवाही या सबूतों के कारण खतरे में पड़े HRDs के लिए गवाह सुरक्षा कार्यक्रम लागू किया जाए। कार्यक्रम द्वारा मानवाधिकार रक्षकों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्थानांतरण, पहचान सुरक्षा और सुरक्षा सहायता प्रदान की जाए।

अनुकूल वातावरण की आवश्यकता

- वकालती गतिविधि के लिए समर्थन : व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों का समर्थन करते हुए ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को स्वतंत्र रूप से वकालती कार्य के लिए सक्षम बनाना। इसमें नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ-साथ बहुत सी अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं। इसमें अपने पक्ष-समर्थन को मजबूती प्रदान करने हेतु आवश्यक संसाधनों, सूचनाओं और प्लेटफार्मो तक पहुँच सुनिश्चित करना शामिल है।
- शांतिपूर्ण सभा का अधिकार : मानवाधिकार रक्षकों के शांतिपूर्वक मिलने या एकत्रित होने और मनमाने या गैरकानूनी हस्तक्षेप के बगैर मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता से संबंधित शांतिपूर्ण गतिविधियों में भाग लेने के अधिकार को कायम रखा जाए।
- कानूनी सहायता : एक समर्पित कानूनी सहायता कोष स्थापित किया जाए। इसके साथ-साथ कानूनी क्लीनिक भी स्थापित किए जाएँ, जो मानवाधिकार रक्षकों को कानूनी परामर्श, अदालती मामलों

में प्रतिनिधित्व और कानूनी प्रक्रियाओं को नेविगेट करने में सहायता सहित निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करें। ये क्लीनिक HRDs को उनके काम की सुरक्षा के लिए कानूनी अधिकारों और तंत्र पर प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकते हैं।

» सार्वजनिक जागरूकता प्रयास : मानवाधिकार रक्षकों के महत्व और राष्ट्र निर्माण और समाज के कल्याण में उनके योगदान को उजागर करने हेतु सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू किए जाएँ, जिससे उनके प्रयासों के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार किया जा सके।

» मान्यता और पुरस्कार : मानवाधिकार रक्षकों की उपलब्धियों और योगदान को सम्मानित करने, जश्न मनाने, प्रोफाइल में इजाफे, न्याय और मानवाधिकारों के प्रति उनके समर्पण को स्वीकार करने हेतु पुरस्कार और मान्यता कार्यक्रम स्थापित किए जाएँ।

एक सहायक संस्थागत ढाँचे की आवश्यकता

» मानवाधिकार रक्षकों के लिए 24/7 हेल्पलाइन : मानवाधिकार रक्षकों के लिए समर्पित एक 24/7 हेल्पलाइन स्थापित की जाए, जो उन्हें आपात स्थिति या खतरों के मामले में सहायता, मार्गदर्शन और समर्थन तक तत्काल पहुँच प्रदान करे। इस हेल्पलाइन में प्रशिक्षित पेशेवरों को नियुक्त किया जाए जो कानूनी सलाह, मनोवैज्ञानिक सहायता और आपातकालीन प्रतिक्रिया समन्वय प्रदान कर सकें।

» राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकार रक्षकों के लिए विशेष इकाई : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के भीतर एक विशेष इकाई बनाई जाए जो मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा पर केंद्रित हो। इस इकाई को मानवाधिकार रक्षकों की स्थिति की निगरानी, उनकी शिकायतों का समाधान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय हेतु जिम्मेदार बनाया जाए। इकाई को मानवाधिकार रक्षकों के लिए जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण जैसे सक्रिय उपायों में भी संलग्न किया जाए।

» मानवाधिकार रक्षक सलाहकार परिषद : एक मानवाधिकार रक्षक सलाहकार परिषद बनाई जाए जो मानवाधिकार रक्षकों के संगठनों, नागरिक समाज, सरकार, शिक्षा और कानूनी समुदाय के प्रतिनिधियों से बनी हो। परिषद को मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा और संवर्धन को मजबूत करने के लिए आवश्यक नीतियों, रणनीतियों और कार्यों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करनी चाहिए।

» मानवाधिकार रक्षकों पर संसदीय समिति : मानवाधिकार रक्षकों से संबंधित मुद्दों, सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और रक्षकों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढाँचे को बढ़ाए जाने के लिए विधायी सुधारों में संलग्न होने हेतु एक समर्पित संसदीय समिति का गठन किया जाए।

क्षमता निर्माण और जागरूकता

- क्षमता निर्माण कार्यक्रम : सुरक्षा उपायों, डिजिटल सुरक्षा, वकालती कौशल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्र के ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानवाधिकार रक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित किए जाएँ। इन कार्यक्रमों को हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित मानवाधिकार रक्षकों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए।
- प्रशिक्षण और संवेदीकरण पहल : मानवाधिकार रक्षकों की भूमिका और अधिकारों के बारे में उनकी समझ को बढ़ाने, उनके सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायपालिका हेतु लक्षित प्रशिक्षण और संवेदीकरण पहल विकसित और कार्यान्वित की जाए।
- पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षण : सुरक्षा तंत्र और मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा में शामिल सभी कर्मियों को उनके प्रभावी कामकाज और सुरक्षा ढाँचे के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन और प्रशिक्षण किया जाए।
- मानवाधिकार शिक्षा और जागरूकता को मजबूत करना : सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक प्राधिकरण मानवाधिकार रक्षकों की भूमिका को पहचानने के साथ-साथ मानवाधिकार शिक्षा, सामाजिक न्याय नीतियों और पारिस्थितिकीय स्थिरता को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य हो। इसमें मानव अधिकारों और स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय नीतियों, पारिस्थितिकीय स्थिरता, और सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों और अधिकार क्षेत्र के भीतर या भारत के नियंत्रण में सभी व्यक्तियों के लिए मानवाधिकार रक्षकों की भूमिका के बारे में शिक्षण, प्रशिक्षण और शिक्षा के पर्याप्त संसाधन शामिल हों। शिक्षण, प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों में प्रासंगिक कानूनों और मानवाधिकार रक्षकों के महत्वपूर्ण और वैध कार्यों के बारे में जानकारी शामिल की जाए।
- सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा : मानवाधिकार रक्षकों की भूमिका और महत्व को उजागर करने, उनके काम के लिए सामाजिक सम्मान और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए जाएँ।